147

देशी शराब/विदेशी मदिरा/बीयर की फुटकर/ माडल शाप के लाइसेंस दिये जाने वाले आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ पत्र

(एक से अधिक आवेदन होने की दशा में दोनों आवेदकों द्वारा अलग–अलग शपथ पत्र दिये जायेंगे)

मैं.......................................पुत्र/पुत्री/पत्नी..................................आयु..............वर्ष ....

निवासी...शपथपूर्वक अभिकथन करता/करती हूँ कि –

1– यह कि शपथकर्ता ने देशी शराब/विदेशी मदिरा/बीयर की फुटकर बिक्री की दुकान/माडल शाप ....थाना.........................तहसील........................ जनपद...............................के लाइसेंस हेतु आन लाइन आवेदन किया है।

2– यह कि शपथकर्ता ने लाइसेंस की शर्तों और प्रतिबन्धों को पूरी तरह से समझ लिया है यदि दुकान उसे आवंटित हो जाती है तो वह नियमों, लाइसेंस की शर्तो और लाइसेंसिग प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले अन्य निर्देशों का पालन करेगा।

3– यह कि शपथकर्ता भारत का नागरिक है।

4– यह कि शपथकर्ता की आयु 21 वर्ष से अधिक है।

5– यह कि उसके पास समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 के उपबंधों के अनुसार उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर है अथवा उसने किराये पर उस स्थान पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध किया है।

6– यह कि दुकान के उसके प्रस्तावित परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

7– यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी अधिनियम, 1985 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या किसी अन्य संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध के लिये दोष सिद्ध नहीं किया गया है।

8– यह कि अनुज्ञापी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में उसके द्वारा जिला, जहॉ का वह निवासी है, के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण–पत्र लाइसेंस जारी होने के पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा कि उसका

Scanned by CamScanner

एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है एवं उनका कोई आपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक इतिहास नहीं है।

9— यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी, या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो या 21 वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो।

10— यह कि शपथकर्ता न तो सरकारी अथवा लोक देयों का बकायेदार है, न ही उसका नाम काली सूची में है और न ही उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम—1910 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत उसे आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित किया गया है।

11— यह कि वह ऋणशोधक्षम है और आवश्यक निधि रखता है या कारोबार के संचालन के लिये आवश्यक निधि प्रबन्ध कर लिया है, जिसका ब्योरा, यदि अपेक्षित होगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा देगा।

12— यह कि वह सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक गतिविधियों एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। यदि अनुज्ञापन प्राप्त हो जाने के उपरान्त भी यह प्रमाणित हो जाता है कि वह सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक गतिविधियों एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो उसे किया गया आवंटन/करार/ पट्टा/ठेका/अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जाये।

13— यह कि वह बार काउसिंल में पंजीकृत अधिवक्ता नहीं है। यदि अनुज्ञापन प्राप्त कर लेने पर उसे बार काउसिंल में पंजीकृत अधिवक्ता पाया जाता है तो अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जाय।

14— यह कि वह सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र का धारक है तथा उसकी हैसियत संबंधित आवेदित अनुज्ञापन धारण करने हेतु पर्याप्त है।

15— यह कि वह पैन कार्ड एवं आधार कार्ड का धारक है तथा उसके द्वारा विगत वर्ष की आयकर विवरणी प्रस्तुत की गयी है।

16— यह कि मेरे द्वारा दी गयी सूचनाएं मेरी जानकारी में सही एवं सत्य हैं। कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। मेरे द्वारा लाइसेंस की शर्तों और प्रतिबन्धों को पूरी तरह समझ लिया गया है। यदि मेरा आवेदन/आवंटन/अनुज्ञापन सूचनाओं के अपूर्ण रहने अथवा शर्तों को पूरा न किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, तथा मैं इसके लिए कोई दावा नहीं करुँगा।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित।

Scanned by CamScanner